Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 2 ~ Issue 2 (2014)pp: 54-57
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

आधुनिक युग में महिलाओं का सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान

डॉ सुरेन्द्र सिह
व्याख्याता राजनितिक विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय बहरोड़ अलवर राजस्थान

आधुनिक भारत में महिलाओं का सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से महिलाओं ने अपनी स्थिति में पिछले कुछ सदियों से कई बड़े बदलाव का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ की कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है।

आधुनिक युग में महिलाएँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता प्रशासनिक सेवा आदि जैसे शीर्ष पदो पर आसीन हैं। साथी ही खेल, विज्ञान एवं प्राद्योगिकी तथा सैनिक क्षेत्र में अपनी अदम्य् साहस का परचम निरंतर लहरा रही है।

आज के समय में महिलाएँ आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, वकील, जज, व राजनीतिज्ञ सभी कार्यालयों एवं दफ्तरों में पदासीन हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आधुनिक युग में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं।

प्राचीन काल से वर्तमान समय तक भारत में महिलाएँ निरंतर अपने आप को आगे लाती रही हैं। अब वह दौर नहीं रहा जिसमें महिलाएँ घुंघट में केवल चारदीवारी के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी समेट लिया करती थी आज के इस दौर में महिलाएँ पुरुषों के साथ बढ़-चढ़कर हर कार्य क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं तथा भारत और देश में नाम और यश फैला रही हैं।

भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रही है। इसमें समय-समय पर हमेशा बदलाव होता रहा है। यदि हम महिलाओं की स्थिति का आंकलन करें तो पता चलेगा कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की सामाजिक स्थिती में अनेक तरह के उतार-चढ़ाव आते रहे हैं और उसके अनुसार ही उनके अधिकारों में बदलाव भी होता रहा है। इन बदलावों का ही परिणाम है कि महिलाओं का योगदान भारतीय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में दिनों-दिन बढ़ रहा है जो कि समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सफत प्रयास किया।

भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों (1993) ने राजनीतिक अधिकारों की संरचना में महिलाओं के लिए समान भागीदारी तथा सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है।

73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उसके प्रतिशत के अनुपात से सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहा भाग प्रत्येक स्तर पर आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के कुल पदों का एक-तिहा भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद-भाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-78) से महिलाओं से जुड़े

मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्ठिकोण अपनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में, महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तीकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों (1993) के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और मानवाधिकार लिखतों की भी पुष्टि की है। इनमें से एक प्रमुख वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू) की पुष्टी की है।

इसमें जो महिलाएँ और खासकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की महिलाओं, जो अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में और अनौपचारिक, असंगठित क्षेत्र में हैं, की अन्यों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पहुँच अपर्याप्त है। अत: वे ज्यादातर सीमांत, गरीब और सामाजिक रूप से वंचित रह जाती हैं।

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण करना है। इस नीति का व्यापक प्रसार किया जाएगा ताकि इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित की जा सके। विशेष रूप से, इस नीति के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ हो सकें।

(ii) राजनीतिक, आर्थिक, सामजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल - सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ साम्यता के आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की विधित: और वस्तुत: प्राप्ति।

(iii) राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी करने और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुँच।

(iv) स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, बराबर पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कार्यालय आदि में महिलाओं की समान पहुँच।

(v) महलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए विधिक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।

(vi) महिलाओं और पुरूषों दोनों की सक्रिय भादीदारी और संलिप्तता के माध्यम से सामाजिक सेाच ओर सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना।

(vii) महिलाओं और बालिका के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना, और

(viii) सभ्य समाज, विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना और उसे सुदृढ़ बनाना।

महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये जो सुधार आन्दोलन शुरू हुआ उससे समाज में एक नयी जागरूकता पैदा हुई है। जिससे महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार है। बाल-विवाह, भ्रूण-हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का काफ़ी प्रयास हुआ है। जिससे शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। गाँधी जी ने कहा था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्यों लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है किन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है। जहाँ से सफलता का आरंभ होता है। शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली। महिलाएँ अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी हैं, आज देखने में आया है कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नये रास्तों का निर्माण किया है।

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं। इससे स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आएं हैं, इसका ही परिणाम है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को जो अविस्मरणीय जीत हासिल हुई है, उसको दिलाने में महिलाओं कि बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसकी रूपरेखा का निर्माण कहीं न

कहीं प्रधानमत्री मोदी के द्वारा जो देश व्यापी योजनायें चलाई गईं उनका काफी योगदान है। केंद्र में एनडीए सरकार ने जो उज्जवला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सौभाग्य, जनधन, मुद्रा लोन आदि के रूप में जो योजनायें चलाई उन्होंने सीधे तौर पर महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और विजय भी हासिल की इस प्रकार देखा जाए तो राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएं बखूबी भूमिका निभा रही हैं।

प्रखर नारी आंदोलनों ने अब तक वैवाहिक जीवन में स्त्री के अधिकार, महिला शिक्षा, राजनीति में भूमिका, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता जैसे विभिन्न बुनियादी पहलुओं पर जनमानस को बदलने का काम किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में लिंग समानता का सिद्धांत अंतरनिहित है।

वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त थ। उसे देवी, सहधर्मिणी अर्द्धांगिनी, सहचरी माना जाता था। स्मृतिकाल में भी "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" कहकर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है।

पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है। किन्तु 11 वीं शताब्दी से 19 वीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान, विकास, और सशक्तिकरण का अंधकार युग था। मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया था और उसके कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ, जिसने महिलाओं की स्थिति को हीन बना दिया तथा उनके निजी व सामाजिक जीवन को कलुषित कर दिया।

धर्मशास्त्र का यह कथन नारी स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं है अपितु नारी के निर्बाध रूप से स्वधर्म पालन कर सकने के लिए बाह्य आपत्तियों से उसकी रक्षा हेतु पुरूष समाज पर डाला गया उत्तरदायित्व है। इसलिए धर्मनिष्ठ पुरूष इसे भार न मानकर, धर्मरूप में स्वीकार अपना कल्याणकारी कर्त्तव्य समझता है। पौराणिक युग में नारी वैदिक युग के दैवी पद से उतरकर सहधर्मिणी के स्थान पर आ गई थी। धार्मिक अनुष्ठानों और याज्ञिक कर्मो में उसकी स्थिति पुरूष के बराबर थी। कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी नहीं किया जाता था। श्रीरामचन्द्र ने अश्वमेध के समय सीता की हिरण्यमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया थ।

मध्यकाल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति मध्ययुगीन काल के दौरान काफी दयनीय थी जब भारत के कुछ समुदायों ने सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोका लगा दी और यह सामाजिक जिंदगी का हिस्सा बन गयी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने पर्दा प्रथा भारतीय समाज में ला दिया। बहुविवाह की प्रथा हिंदू क्षत्रिय शासकों ने व्यापक रूप से प्रचलित थी। कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जानना क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्य, शिक्षा, धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है।

संवैधानिक अधिकारों में विभिन्न कानूनों के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलने से उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। महिलाओं की विवाह विच्छेद परिवार की सम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार दिये गये। दहेज पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा तथा उन व्यक्तियों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गयी जो दहेज की मांग को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं।

महिलाओं शिक्षा समाज का आधार है। समाज द्वारा पुरूष को शिक्षित करने का लाभ केवल मात्र पुरूष को होता है जबकि महिला शिक्षा का स्पष्ट लाभ परिवार, समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को होता है । चूंकि महिला ही माता के रूप में बच्चे की प्रथम अध्यापक बनती है । महिला शिक्षा एवं संस्कृति को

सभी क्षेत्रों में पर्याप्त समर्थन मिला। यद्यपि कुछ समय तक महिला शिक्षा के समर्थक कम किन्तु आज समय एवं परिस्थितियों ने महिला शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने भी बदल कर रख दिए है। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत है। महिलाएं अब अपनी पेशेवर जिंदगी (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) को लेकर बहुत अधिक जागरूक है जिससे वे अपने परिवार तथा रोजमर्रा की दिनचर्या से संबंधित खर्चों का निर्वाह आसानी से कर सके।

यह सत्य है कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरुष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय है- "किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारीशक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियाँ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित हैं।"

अगर हम भारतीय समाज पर दृष्टिपात करें तो हम पायेंगे कि हाल के वर्षो में ही महिलाओं ने अपनी सफलता के ऐसे झंडे गाड़े है, जो भले ही उनके समक्ष नइ समस्याएँ पैदा करने वाले कारक बने हो, पर पुराने रूढ़ियों हिल गई है। आज भारत में महिलाएँ न्यायिक सेवा में हैं, सेना में भी महिलाओं को प्रवेश हो चुका है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी महिलाएँ अपना योगदान दे रही है। कुल मिलकार शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो, जो महिलाओं ने अपनी स्थिति में अभूतपूर्व सुधार किया है। आधुनिक महिला, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों की प्रतियोगी है।

संदर्भ:

[1]. एम0 एल0 वरे, भारतीय इतिहास में नारी, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल पृ0 26-28

[2]. के0 एल0 खुराना, एम0 एस0 चैहान, भारतीय इतिहास में महिलाएँ, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, पृ0 25, 2012

[3]. सरोज कुमार गुप्ता, भारतीय नारी काल, आज और कल, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, पृ0 25-33, 2012

[4]. आल्टेकर, ए0 एस0 1956- द पोजीषन आॅफ वीमेन इन हिन्दु सिविलाइर्जषन

[5]. बेग, तारा अली (1958) वीमने इन इण्डिया, न्यू देहली पब्लिकेशन-डिविजन मिनिस्ट्री आॅफ इनफोरमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग विडिजन, गवर्नमेंट आॅफ इंडिया।

[6]. फोनसेफा (1980), फैमिल एण्ड मैरिज इन इंडिया, सचिन पब्लिकेशन जयपुर

[7]. अर्चना कुमारी, बाल विवाह, पृ0 23

[8]. गौतम हरेन्द्र राज, महिला अधिकार संरक्षण, कुरूक्षेत्र मार्च 2006

[9]. व्यास, जय प्रकाश, नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन, 2003

**Corresponding Author: डॉ सुरेन्द्र सिह*